



श्री अशोक गहलोत  
मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शान्ति कुमार धारीवाल  
मंत्री स्वायत्त शासन  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान

# राजस्थान आवासन मण्डल

मानपुर आवासीय योजना, आबू रोड़, जिला - सिरौही

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना \* वर्ष \* 2021

RERA Reg. No. RAJ/P/2021/1598

RERA ADDRESS : 2nd & 3rd Floor, RSIC Wing  
Udyog Bhawan, Tilak Nagar  
Jaipur-302005  
RERA Website : <http://rera.rajasthan.gov.in/>

योजना | 12.10.2021  
अवधि | 11.11.2021

मध्यम आय वर्ग 'अ' व 'ब'  
उच्च आय वर्ग के स्वतंत्र  
आवास हेतु



'मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना'

हमारी खुशी का संसार

हमारा अपना घर



**राजस्थान आवासन मण्डल**



मूल्य : 300 + 54 = 354/-

# राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

मानपुर आवासीय योजना, आबू रोड़ शहर, जिला- सिरौही  
(पंजीकरण योजना-2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 17, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 28, उच्च आय वर्ग के 39 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र की बिक्री / प्राप्ति व वरियता निर्धारण का कार्यक्रम

## कार्यक्रम

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र उपलब्ध : 12.10.2021
2. ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 11.11.2021
3. योग्य आवेदकों की वरियता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
5. वरियता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. वरियता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

## सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर फोन : 0291 - 2711912	आवासीय अभियन्ता, खण्ड पाली मारवाड़ नई भूमि योजना, पाली (राज.) फोन : 02932 - 256371 मो. नं. : 9672989709	परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ राजस्थान आवासन मण्डल उपखण्ड, आबूरोड़ फोन : 9983422700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

### विशेष :

1. रेरा पंजीकरण संख्या - RAJ/P/2021/1598  
RERA Website : <http://rera.rajasthan.gov.in/>  
RERA Address : 2nd and 3rd Floor, RSIC Wing, Udhog Bhawan, Tilak Marg, C Scheme Jaipur
2. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर ऑनलाईन भरे जायेंगे इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रु 354/- में पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड मार्फत जमा कराई जा सकती है या चालान प्रिंट कर निम्नलिखित बैंक में जमा कराया जा सकता है

Bank : ICICI Bank  
A/c No. : 684205601146

IFSC Code : ICIC0006842  
Branch : Jain Market, Pali-Marwar

## ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:

यह सुनिश्चित कर लें कि :-

1. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्नानुसार है—
  - i. आय का प्रमाण पत्र।
  - ii. पंजीकरण की पूर्ण राशि ऑनलाइन आवेदन करते समय फार्म के साथ जमा करानी होगी।
  - iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
  - iv. संबंधित वांछित प्रमाण पत्र।
  - v. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—  
आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड,  
बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त  
दस्तावेजों में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित  
प्रति।
  - vi. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है।



# राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021  
मानपुर आवासीय योजना, आबू रोड़ शहर, जिला— सिरौही  
(पंजीकरण योजना-2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 17, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 28, उच्च आय वर्ग के 39  
स्वतंत्र आवासों हेतु

## योजना की प्रस्तावना :-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राजस्थान सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम - 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में मण्डल कार्मिकों की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आबू रोड़ में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 17, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 28, उच्च आय वर्ग के 39 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरियता निर्धारण का स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

मानपुर आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 25.60 हेक्टर है। इस आवासीय योजना में सेक्टर 4 में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 17, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 28, उच्च आय वर्ग के 39 लगभग 84 स्वतंत्र आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है जिनका विवरण तालिका 1 के अनुसार है।

तालिका - 1

आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :-

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	प्लॉट साईज (मीटर)	निर्मित क्षेत्र लगभग (वर्ग मीटर)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	17	6.0X 16.0	28.95	11.73 लाख
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	28	8.0 X16.0	31.76	15.63 लाख
3.	उच्च आय वर्ग	39	10.5 X 20.0	53.00	25.29 लाख

नोट :

- (i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

## आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

यह आवासीय योजना मण्डल की मानपुर आवासीय योजना, आबूरोड में स्थित है, इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है:-

1. रेलवे स्टेशन	3.3 कि.मी
2. बस स्टैण्ड	2.9 कि.मी
3. मुख्य बाजार	3.4 कि.मी

## पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:-

- (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
- जो मण्डल कार्मिक/अधिकारी प्रथम बार मण्डल में आवास आवंटन बाबत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी (जिन्हें मण्डल द्वारा अभी तक आवास आवंटन नहीं हुआ है) और साथ ही कार्मिकों/अधिकारियों को यह भी विकल्प प्रस्तुत करना है कि उन्हें प्रथम आवास के लिए वरियता/आवंटन किस शहर में किया जावे।
- जिन मण्डल कार्मिकों को शहर विशेष अर्थात् जोधपुर में आवास आवंटन नहीं हुआ है परन्तु पूर्व में किसी अन्य शहर की योजना में आवास आवंटन किया जा चुका है उन्हें द्वितीय वरीयता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर तथा दो वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरियता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरियता तथा मूल आय वर्ग के ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरियता तथा, मूल आयवर्ग के नीचे के आवेदक को तृतीय वरियता दी जावेगी।

5. इस योजना में तालिका 1 में दर्शाये गये आवास हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है।

### तालिका नं. - 2

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रूपये में)	पंजीकरण राशि (रूपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रूपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रूपये में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	6,00,000 से 12,00,000 तक	50,000+5 प्रतिशत जीएसटी 52,500	1000+18 प्रतिशत जीएसटी 1180	53,680
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	12,00,000 से 18,00,000 तक	80,000+5 प्रतिशत जीएसटी 84,000	1500+18 प्रतिशत जीएसटी 1770	85,770
3.	उच्च आय वर्ग	18,00,000 एवं अधिक	1,20,000+5 प्रतिशत जीएसटी 1,26,000	2000+18 प्रतिशत जीएसटी 2360	1,28,360

नोट - आवेदन शुल्क रु. 300/- + 18% GST कुल राशि 354/- कुल जमा योग्य राशि के साथ जमा करावें।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
7. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदक के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस समस्त आय वर्ग के आवेदक हेतु तालिका के अनुसार राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनःभुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।
8. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के बाद शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
9. पंजीकरण नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति दोनों में कराया जा सकता है। किराया क्रय पद्धति में 156 सममासिक किश्तों में भुगतान करना होगा। किश्तों की राशि पर जीएसटी प्रथक रूप से नियमानुसार देय होगा।
10. आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आयवर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त पूर्वग्रहण

राशिपत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

**तालिका नं. - 3**

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त रुपये में			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	40,000 रुपये	30,000 रुपये	30,000 रुपये	1,00,000 रुपये
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	70,000 रुपये	70,000 रुपये	60,000 रुपये	2,00,000 रुपये
3.	उच्च आय वर्ग	1,00,000 रुपये	1,00,000 रुपये	1,00,000 रुपये	3,00,000 रुपये

11. पूर्वग्रहण राशि पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जीएसटी की राशि अलग से देय होगी।

**12. रिफण्ड**

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) राजस्थान आवासन मण्डल की 243वीं बैठक दिनांक 21.9.2020 के विचार बिन्दु संख्या 243.43 के निर्णय अनुसार सफल आवेदक घोषित होने के पश्चात कब्जाराशि जमा कराने के पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो आय वर्ग श्रेणी में अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक मय जीएसटी कटौति का निर्णय लिया गया है।

13. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
14. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका आवास के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्नप्रकार होंगे –
- (क) लीज राशि – यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि – यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती यह राशि किरायाक्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित या लौटा दी जायेगी।
- (ग) अन्य खर्चे :
- (1) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
- (2) अन्य विविध खर्चे जो कि मण्डल समय-समय पर निर्धारित करें।
15. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
16. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे— आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

17. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
18. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
  2. सेनेटरी फिटिंग
  3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
19. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
20. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
21. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम/अधिकृत होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
22. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
23. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियन्ता रा.आ.मण्डल खण्ड पाली कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में

मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लें।

- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लें।
24. वित्तीय सुविधायें : आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
25. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा— आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
26. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
27. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंदन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
28. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

29. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसोसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुर्नर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जायेगा।

### महत्वपूर्ण बिंदु

- i अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ii आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- iii इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- iv आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- v योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद आबू रोड शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- vi आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- vii लॉटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- viii आवेदन पत्र पुस्तिका (बुकलेट) का राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर अवलोकन किया जा सकता है।
- ix योजना में एक व्यक्ति का स्वतन्त्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा।

## GENERAL SPECIFICATION OF CONSTRUCTION

- 1 R.R. Stone Masonry for Foundation/Plinth in CM-1:6
- 2 R.C.C. work in slab, plinth/lintel band.
3. Brick Masonry in superstructure in cement sand mortar. (1:6)
4. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)
5. Vitrified tiles Flooring/ Matt Finish Tiles flooring.
6. T-iron Door Frames/ Steel Section Window and ventilator.
7. Flush door shutters with steel fittings.
8. Inside Distemper and Outside Water Proofing cement paint.
9. White cement base putty over plaster surface.
10. Concealed PVC conduits with flexible copper wire MCBS.
11. Internal sanitary fittings with UPVC, CPVC pipes.

आवेदक का  
फोटो

## सभी आवेदकों के लिए

### शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु.....वर्ष  
जाति..... निवासी .....  
एतद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मुझे मण्डल द्वारा आज दिनांक तक मण्डल की किसी भी योजना में आवास आवंटित नहीं हुआ है।

अथवा

- (i.) मुझे मण्डल की योजना ..... में आवा  
संख्या ..... आवंटित हुआ है।
- (ii.) मुझे मण्डल की योजना ..... में आवास  
संख्या ..... आवंटित हुआ है।
3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

### सत्यनिष्ठा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
निवासी ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ  
कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है,  
मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता  
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/  
संस्था (विभाग/संस्था का नाम) ..... में.....  
पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के  
उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2020-21 की सकल वार्षिक आय  
रुपये .....थी।

क्रमांक/दिनांक .....


विभागाध्यक्ष  
के हस्ताक्षर मय मोहर  
विभाग/उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
..... जिला .....संभाग.....राज्य .....जाति .....  
.....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के  
अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।


हस्ताक्षर

तहसीलदार  
(कार्यालय की मोहर सहित)




**GROUND FLOOR PLAN**

MIG-A House (Plinth Area 28.95 Sq. Mtrs.)



## GROUND FLOOR PLAN

MIG-B House (Plinth Area 31.76 Sq. Mtrs.)



### GROUND FLOOR PLAN

HIG House (Plinth Area 53.00 Sq. Mtrs.)

## राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

मानपुर आवासीय योजना, आबू रोड़ शहर, जिला- सिरौही

(पंजीकरण योजना-2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 17, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 28, उच्च आय वर्ग के 39

स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हाँ/नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथारथान चिपकाया है?	हाँ/नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ/नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण- स्वरूप दर्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हाँ/नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हाँ/नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हाँ/नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हाँ/नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ/नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हाँ/नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ/नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हाँ/नहीं
12.	क्या वाछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

### कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का गुण है -सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक/सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु आवेदन क्रमांक

बैंक खाता संख्या : 684205601146

IFSC : ICIC0006842



## चालान

# राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त द्वितीय), सेक्टर-11  
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021  
मानपुर आवासीय योजना, आबू रोड़ शहर, जिला- सिरोही  
(पंजीकरण योजना-2021)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के 17, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 28, उच्च आय वर्ग के 39  
स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम \_\_\_\_\_

2. पत्र व्यवहार का पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. सेक्टर/कॉलोनी का नाम : सेक्टर 6, बड़ली आवासीय योजना

4. योजना का नाम : मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना - 2021

5. बैंक अकाउंट नं. \_\_\_\_\_

IFSC कोड \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

6. पंजीकरण राशि (अंको में) \_\_\_\_\_

(शब्दों में) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

दिनांक : .....

स्थान : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

# राजस्थान आवासन मण्डल

मूल्य : 354 / -

## पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021  
मानपुर आवासीय योजना, आबू रोड़ शहर, जिला- सिरोंही (पंजीकरण योजना-2021)  
मध्यम आय वर्ग 'अ' के 17, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 28, उच्च आय वर्ग के 39,  
स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

आवेदक /  
आवेदिका  
का नवीनतम  
फोटो

### आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक .....

1	आवेदक / आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)	श्री / श्रीमती.....
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)	श्री.....
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैनकार्ड / मतदाता पहचान पत्र / आधारकार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी / टेलीफोन बिल / अन्य फोटो युक्त मान्य दस्तावेज.....
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (आधार नम्बर)	..... ..
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)	वैतनिक
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	..... ..... .....दूरभाषनं. .... मोबाईल नं..... .....ई-मेल पता..... .....
9	प्रथम वरियता / द्वितीय वरियता	
10	आवेदक / आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 2020-21) पैन नम्बर, (लागू हो तो)	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
11	यदि आवेदक पूर्व पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करे।	
	क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है।	
	ख. पंजीकरण का वर्ष	
	ग. वरीयता क्रमांक:	
12	पंजीकरण राशि रु. ....	वर्तमान आवंटित आय वर्ग

13	बैंक खाता सं. आई.एफ.एस.सी. कोड	दिनांक.....रु.....
14	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (✓) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	जी-1 : वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी-प्रथम(G-1-I) (केन्द्रसरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय(G-1-II)(राज्य सरकार के कर्मचारी/अधिकारी)	जी-2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी-प्रथम (G-2-I)-सामान्य अवैतनिक श्रेणी-द्वितीय (G-2-II)-प्रोफेशनल (केवल प्राफेशनल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवंप्राईवेट डॉक्टर)
	जी-3 : राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक(बोर्डकर्मचारी)	जी-4 : अनुसूचित जाति
	जी-5 : अनुसूचित जनजाति	जी-6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी-7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी-8 : भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं
	जी-9 : दिव्यांग(अंधता/शारीरिक/गूकबधिर)	जी-10 : वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी
15	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा में बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक - रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ बैंक ऑनलाईन संलग्न करेगे।:- आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)..... खाता संख्या (सम्पूर्ण)..... .....खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):..... बैंक शाखा का पता:..... ..... मोबाइल नम्बर.....	
16	ऑनलाईन संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र :	
	(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (ल) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (व) स्वयं अथवा पति-पत्नि अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि / भवन न होने संबंधी शपथ पत्र। (अ) अन्य वांछित प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।	
17	घोषणा :-	
	1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।	
	2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।	
	3.मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्रीहोल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।	
	4. मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट/स्ववित्तपोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी / माप का आवास आरक्षित / आवंटित नहीं है।	
	5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के	

	लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।		
	6. मकान का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् मकान में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।		
	7. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमान क्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:-		
क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध
	प्रथम		
	द्वितीय		
	तृतीय		

आवेदक के हस्ताक्षर

(राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी  
पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करें)

स्थान.....

दिनांक.....

**SECTOR-1**

**SCHEDULE OF PLOTS:-**

TYPE	SIZE	NO.OF PLOTS
E.M.S.	40X110M	32
L.I.G.	60X120M	22
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>

**SECTOR-3**

**SCHEDULE OF PLOTS:-**

TYPE	SIZE	NO.OF PLOTS
M.I.G.I	60X16.0M	17
L.I.G.	60X12.0M	26
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>

C S = 718.88 SOM



**SECTOR-4**

**SCHEDULE OF PLOTS:-**

TYPE	SIZE	NO.OF PLOTS
H.I.G	10.5X20.0M	39
M.I.G.II	8.0X16.0M	28
M.I.G.I	60X16.0M	17
<b>TOTAL</b>		<b>84</b>

APPROVED BY THE DISTRICT MURDER MAGISTRATE  
ON 20/05/2012 AT 12:00 PM AND NO. 30

(P.C. KHAN) ASSISTANT TOWN PLANNER  
(DR. P. SINGH BAREEN) ADD. CHIEF TOWN PLANNER  
(B. S. RAUF KHAN) DEPUTY TOWN PLANNER



**LAND USE ANALYSIS**

NO.	AREA	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL	44.44
2	COMMERCIAL	11.11
3	OPEN SPACE	44.44
<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>

**SCHEDULE OF PLOTS-4 (PROPOSED)**


S.NO.	TYPE	SIZE	NO. OF PLOTS
1	H.I.G	10.5X20.0M	39
2	M.I.G.II	8.0X16.0M	28
3	M.I.G.I	60X16.0M	17
<b>TOTAL</b>			<b>84</b>

**NOTES:**

1. LAY OUT PLAN APPROVED BY SET BY S.D. MURDER MAGISTRATE ON 20/05/2012 AT 12:00 PM AND NO. 30

**SCHEDULE OF PLOTS-4 (SECTOR-1)**

S.NO.	TYPE	SIZE	NO. OF PLOTS
1	E.M.S.	40X110M	32
2	L.I.G.	60X120M	22
<b>TOTAL</b>			<b>74</b>



**PROPOSED LAY OUT PLAN OF**  
**LAND USE ANALYSIS AND ROAD**  
**SECTOR-1 TO 4**

DATE: 20/05/2012  
SCALE: 1:1000  
DRAWN BY: [Name]  
CHECKED BY: [Name]

APPROVED BY: [Name]  
DISTRICT MURDER MAGISTRATE  
RAJASTHAN HOUSING BOARD

## आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिए आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशान में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्तें देते रहे तो कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों को डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानों से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ बिना हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मंडल के मकान सस्ते पड़ते हैं।



# राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन' जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर  
फोन : 0141-2740812, 2440113, 2740614